न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–6/विशेष न्यायाधीश, भ्र0नि0अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0)_बरेली।

CNR No. UPBR010077972026

अग्रिम **जमानत आवेदन–पत्र संख्या– 689/2026**

मो0 जाकिर पुत्र अब्दुल अहद,
निवासी मो0 टांडा बेरी वाली कुईयां कस्बा व थाना बहेड़ी, जिला बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अ0सं0– 247/2025
धारा– 333,115(2),352,351(3) बी0एन0एस0
थाना– बहेड़ी, जिला बरेली।

दिनांक: 15.07.2026

थाना बहेड़ी, जिला बरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 247/2025, धारा– 333,115(2),352, 351(3) बी0एन0एस0 में अभियुक्त **मो0 जाकिर** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

संक्षेप में केस के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा नाहिद पत्नी शाईद, द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना बहेड़ी, बरेली को प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया गया कि '' मेरे ही मोहल्ले का शाकिब पुत्र जाकिर द्वारा मेरी पुत्री मोहिनी के साथ शादी का झाँसा देकर उसके साथ गलत सम्बन्ध बनाता रहा मेरी पुत्री द्वारा उससे शादी की कहने पर उसके द्वारा मना कर दिया गया और मेरी पुत्री को जान से मारने की धमकी दी थी इस बारे में मेरी पुत्री द्वारा मुझे बताया गया था। मेरे द्वारा थाना बहेडी पर शाकिब के खिलाफ मु0अ0स0 158/2025 धारा 333,640,69 व पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना थाना बहेडी से की जा रही है। अभियुक्त शाकिब पुत्र जाकिर व शाकिब का पिता जाकिर मुझ पर मुकदमा वापिस लेने के लिए दबाव बनाता रहा और तरह–तरह की धमकी देता रहा में मुकदमा वापस लेने के लिये तैयार नही हुई तो दिनाक 12.03.2025 को मैं व मेरी पुत्री मोहिनी घर में अकेले थे तभी समय करीब रात के 9.00 बजे शाकिब व जाकिर उपरोक्त मेरे घर में घुस आये और मुझसे गाली गलौच करते हुए कहा कि तुने जो मुकदमा मेरे लड़के खिलाफ लिखवाया है। उससे वापस ले ले नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मेरे विरोध करने पर शाकिब व जाकिर मुझे और मेरी पुत्री को गन्दी गन्दी गालियाँ देने लगे और मारने पीटने लगे तभी हम लोग चिल्लाने लगे शोर सराबा सुनकर मोहल्ला अब्बास नगर के ही नसरीन पत्नी ताहिर पुत्र नामालुम गली से गुजर रहे थे। उन लोगो ने हम लोगो का शोर सराबा सुनकर मौके पर आकर शाकिब व जाकिर से बचाया शाकिब व जाकिर जाते समय कह रहे थे कि तुम लोगो ने मुकदमा वापस नहीं लिया तो हम तुम लोगों को जान से मार देगें और बार–बार मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। प्रार्थिनी की रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

वादिनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0– 247/2025, धारा–333,115(2),352,351(3) बी0एन0एस0 में अभियुक्त **शाकिब व जाकिर** के विरूद्ध पंजीकृत की गई। अभियोजन केस के अनुसार मामले में विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण **शाकिब व जाकिर** के विरूद्ध धारा– 333,115(2),352,351(3) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर सम्बंधित न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया चुका है।

आवेदक/अभियुक्त का संक्षेप में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र में कथन है कि आवेदक/अभियुक्त को रंजिशन व झूठा फंसाया गया है, जबकि वह निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा के घर में जवरन घुसकर मोई मारपीट नहीं की न गाली गलौज की और न ही जान से मारने की धमकी दी। उक्त मुकदमे की पत्रावली न्यायालय जे0एम0 बहेडी, जनपद बरेली मे विचाराधीन है। आवेदक/अभियुक्त का अपना मकान है उसके भागने का कोई अंदेशा नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के भागने का कोई अंदेशा नहीं है, और प्रार्थी के अग्रिम जमानत मे जो भी शर्ते मा० न्यायालय द्वारा लगायी जायेगीं उनका प्रार्थी पूर्णतः पालन करेगा। आवेदक/अभियुक्त उचित जमानती दाखिल करने को तैयार है तथा उसके भागने अथवा फरार होने का कोई भय नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में विचारण एवं निर्णय तक के लिये अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायहित में अपेक्षित है। प्रार्थना पत्र में

वर्णित कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रश्नगत अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा सात वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय अपराध से संबंधित है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण का दोष सिद्धि संबंधी कोई आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को धारा–35(3) बी0एन0एस0एस0 के नोटिस की तामील कराकर विवेचना की कार्यवाही पूर्ण कर आवेदक/अभियुक्त मो0 जाकिर के विरूद्ध धारा–333,115(2),352,351(3) बी0एन0एस0 में वर्णित दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जिस पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्त के द्वारा विवेचना में असहयोग किये जाने का कोई कथन अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

प्रश्नगत मामला सात वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय अपराध से संबंधित है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त का दोष सिद्ध संबंधी कोई आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है। प्रश्नगत मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा दी गई **विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी0बी0आई0 एवं अन्य व श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 राज्य याचिका संख्या 6400/2025 निर्णीत दिनांकित 12 अगस्त 2025** में दिये गये दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त मो0 जाकिर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **मो0 जाकिर** का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, मु0अ0सं0– 247/2025, धारा– 333,115(2),352,351(3) बी0एन0एस0 थाना बहेड़ी जिला बरेली के प्रकरण में, उक्त मामले का विचारण पूर्ण होने तक अभियुक्त द्वारा **मु0–50,000– रूपये (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की **एक जमानत** सम्बंधित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने हेतु निम्न शर्तों के अधीन **स्वीकार** किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त इस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग है, कोई अपराध नहीं करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त दौरान जमानत, साक्षीगण को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करेगा।

3. विचारण प्रारंभ होने पर आवेदक/अभियुक्त आरोप एवं बयान धारा–313 प्र0प्र0सं0 के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत दिनांक व न्यायालय द्वारा निर्देशित अन्य तिथियों पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

4. आवेदक/अभियुक्त विचारण में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी अग्रिम जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी।

इस आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को प्रेषित की जाये।

दिनांक – 15.07.2026

(संदीपा यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–6/विशेष न्यायाधीश, भ्र0नि0अधि0
(यू0पी0एस0ई0बी0),बरेली।
आई0डी0 यू0पी0 6423

Digitally signed by SANDEEPA YADAV
Date: 2026.07.30 09:42:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court